रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 (ii)

PART II—Section 3 (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 747] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 1997/पौष 9, 1919

No. 747] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 1997/PAUSA 9, 1919

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(श्रम प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1997

का. आ. 925(अ).—यत: बम्बई गोदी कामगार मंडल, बम्बई पिछले कई वर्षों से वित्तीय अभाव का सामना कर रहा था और अपने कर्मचारियों और रजिस्ट्रीकृत कामगारों को मजदूरी का भुगतान करने में असमर्थ था;

और यत: विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद केन्द्र सरकार का यह मत है कि मंडल एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था जिसके कारण यह अपने काम-काज को चलाने में असमर्थ था;

और यत: गोदी कामगार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 6 ख की उप-धारा (1) के खंड (क) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. सा. आ. 204(अ) दिनांक 25 फरवरी, 1994 के द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए उक्त मंडल का अधिक्रमण कर लिया गया और उक्त मंडल द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां और किए जाने वाले कार्य, अधिक्रमण की इस अवधि के दौरान अध्यक्ष, बम्बई पत्तन न्यास, बम्बई को सौंप दी गई/दिए गए;

और यत: केन्द्र सरकार ने दिनांक 22-9-95 की अधिसूचना सं. सा. आ. 113(अ) के तहत अधिक्रमण की अवधि और बढ़ा दी;

और यत: केन्द्र सरकार ने दिनांक 23-12-1996 की अधिसूचना सं. सा. आ. 892(अ) के तहत अधिक्रमण की अवधि 31-12-1997 तक एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी;

और यत: केन्द्र सरकार का विचार है कि अधिक्रमण की अवधि को बढ़ाना आवश्यक है;

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 6 ख की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त मंडल के अधिक्रमण की अवधि को 31 दिसम्बर, 1998 तक बढ़ाती है।

2. उक्त मंडल द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों और किए जाने वाले सभी कार्य अधिक्रमण की इस अवधि के दौरान बम्बई पत्तन न्यास, बम्बई के अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाएंगी अथवा किए जाएंगे।

[फा. सं. एल. बी-13022/4/97-एल-IV]

के. आर. भाटी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Labour Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1997

S.O. 925(E).—Whereas the Bombay Dock Labour Board, Bombay was facing financial stringency for the last several years and was unable to pay wages to its employees and registered workers;

And whereas after considering the various aspects, the Central Government formed an opinion that a grave financial emergency existed due to which the Board was unable to perform its functions;

And whereas the said Board was superseded by the Central Government under clause (a) of sub-section (1) of Section 6B of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), vide Notification No. S.O. 204(E) dated the 25th February, 1994 for a period of one year and all the powers and functions which might be exercised or performed by the said Board were vested in the Chairman, Bombay port trust, Bombay during the period of such supersession;

And whereas the Central Government extended the period of supersession vide Notification No. S.O. 113(E). dated the 22nd September, 1995;

And whereas the Central Government further extended the period of supersession vide Notification No. S.O. 892(E), dated the 23rd December, 1996 for a period upto 31st December, 1997;

And whereas the Central Government considers it necessary to extend the period of supersession;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 6B of the said Act, the Central Government hereby extends the period of supersession of the Board will the 31st day of December, 1998.

2. All the powers and functions, which may be exercised or performed by the said Board shall be exercised or performed by the Chairman, Bombay Port Trust, Bombay during the period of such Supersession.

[F. No. LB-13022/4/-L.IV]

K. R. BHATI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997